(1)

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 10 मार्च, 2014

क्रमांकः एफ 2-1/2014/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 283 के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश फायनेंशियल कोड वाल्यूम-एक में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

(1) नियम 2 में, -

(क) खण्ड (10-क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

"(10-क) 'वित्त सलाहकार' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वित्त सेवा का कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा अखिल भारतीय सेवा का कोई अधिकारी जिसे वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग के वित्त सलाहकार के रूप में घोषित किया है ।"

(ख) खण्ड (10-क) के पश्चात्, निम्न लिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(10-ख) 'सहायक वित्त सलाहकार' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश वित्त सेवा का कोई राजपत्रित अधिकारी, जिसे वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष के सहायक वित्त सलाहकार के रूप में घोषित किया है ।" ।

(2) नियम 52-क के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"52-क. किसी प्राधिकारी द्वारा प्रशासकीय विभाग होने के फलस्वरूप प्रयोक्तव्य वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, उसके द्वारा वित्त सलाहकार से परामर्श करने के पश्चात् किया जाएगा।"

(3) नियम 52-क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"52-ख. किसी प्राधिकारी द्वारा विभागाध्यक्ष होने के फलस्वरूप प्रयोक्तव्य वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, उसके द्वारा सहायक वित्त सलाहकार से परामर्श करने के पश्चात् किया जाएगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग